

नम्बर व
अहकाम जो
दुखम की तामील
में जारी हुए

न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर)

इकत संख्या 13/16

निर्णय दिनांक : 12.04.17

अन्तर्गत धारा 90ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

पटवारी हल्का बाबैन

बनाम

श्री प्रेमचन्द पुत्र रामनिवास जाति वाल्मीकि निवासी सी. ए. दक्षिणपुरी नई दिल्ली हाल निवासी ग्राम बौरई

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवार हल्का बाबैन द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि श्री प्रेमचन्द पुत्र रामनिवास जाति वाल्मीकि निवासी सी. ए. दक्षिणपुरी नई दिल्ली हाल निवासी ग्राम बौरई द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा न० 1004/490 रकबा 0.32 है० अज किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम बौरई में से 2080 वर्गफुट (0.02 है.) पर बिना अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण कराये दुकान बना ली हैं। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 90 ए के तहत जारी किया गया। जिसकी उसे विधिवत तामील हो चुकी है। इसके बावजूद गैरसायल द्वारा अवैध निर्मित क्षेत्र को खाली नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई जबाब असागतन व वकालतन पेश किया गया है, जिसके आधार पर गैरसायल को किसी प्रकार का अनुतोश दिया जा सके।

अतः आदेश है आराजी खसरा न० 1004/490 रकबा 0.32 है० अज किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम बौरई में से 2080 वर्गफुट (0.02 है.) पर बिना अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण कराये दुकान बने क्षेत्र से गैरसायल श्री प्रेमचन्द पुत्र रामनिवास जाति वाल्मीकि निवासी सी. ए. दक्षिणपुरी नई दिल्ली हाल निवासी ग्राम बौरई को बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 0.18 रूपये का 50 गुना पेनल्टी 9 रूपये आरोपित की जाती है। मतालवा तहसील राजस्व लेखाकार को कायम कराया जावे। पटवारी हल्का /भू अभिलेख निरीक्षक को वास्ते बेदखली व वसूली लिखा जावे। पटवारी हल्का आर.टी.ए. 1955 की धारा 175 व 177 के तहत भूमि सिवायचक करने के प्रस्ताव पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार
तहसील-कुम्हेर (भरतपुर)

रा. नं. वं 4 वं 20.12-18 ...
कुम्हेर संख्या 8 ... 9